

**VIDHAN SABHA MATTER**  
**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI**  
**PUBLIC WORKS DEPARTMENT**  
**5<sup>TH</sup> LEVEL "B" WING**

**DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI-110002**

F.No.11(67)/PWD-II/V.S.Q/Un.St.Q.No.167/2019/11073-74 Date- 23/08/19

To,

The Dy. Secretary,  
Question Branch,  
Delhi Legislative Assembly,  
Question Branch, Old Secretariat,  
New Delhi-110054.


**Sub:- Reply of Legislative Assembly (Un-Starred) Question No. 167 raised by Sh. Pawan Kumar Sharma Hon'ble MLA for dated 26.08.2019.**

Sir,

Kindly refer to your letter No.F.11(B-1)VI/2015-20/VSS/Question Branch/2323 dated-16.08.2019 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Encl: As above

Yours faithfully,

  
23/08/19  
**Dy. Secretary (PWD/VS)**

F.No.11(67)/PWD-II/V.S.Q/Un.St.Q.No.167/2019/11073-74 Date- 23/08/19

Copy for information to:-

OSD to Hon'ble Minister (PWD)

  
23/08/19  
**Dy. Secretary (PWD/VS)**

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार  
विभाग का पता :- 5वाँ तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय,  
इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या: 167

दिनांक: 26.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री पवन कुमार शर्मा

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या मेन जीटी रोड पर मुकरबा चौक बार्डपास से लेकर आजादपुर सिग्नाल तक बने सैंट्रल वर्ज पर उद्यान विभाग (लोक निर्माण विभाग) द्वारा वृक्षारोपण करवाने संबंधी किसी योजना पर अमल किया जा रहा है, और	जी हाँ। मेन जी0टी0 रोड पर मुकरबा चौक बार्डपास से लेकर आजादपुर सिग्नाल तक बने सैंट्रल वर्ज पर उद्यान विभाग (लोक निर्माण विभाग) द्वारा वृक्षारोपण करवाने संबंधी योजना पर अमल किया जा रहा है।
ख	यदि हाँ, तो क्या इस कार्य हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है, और	कार्य 30.11.2019 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।
ग	क्या निरंतर बढ़ते प्रदूषण से बचाव के लिए सरकार विभिन्न कालोनियों की फुटपाथ अथवा सर्विस रोड पर भी वृक्षारोपण करवाये जाने पर विचार कर रही है?	कालोनियों की फुटपाथ अथवा सर्विस रोड लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित नहीं किये जाते हैं, यह कार्य दिल्ली नगर निगम के अर्न्तगत आता है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

उप सचिव, (लोकनि0वि0)

(प्र.पू.ल मदान) 22.8.19

उप सचिव/Deputy Secretary  
लोक निर्माण विभाग/Public Works Department,  
दिल्ली सचिवालय, दिल्ली/Delhi Secretariat, Delhi